—:: कार्यवाही विवरण ::—

मेसर्स बिलासपुर माईनिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम—खरकेना, तहसील—सकरी एवं ग्राम—धौराभाठा, तहसील—बिल्हा, जिला—बिलासपुर (छ.ग.) में Establishment of Greenfield steel plant comprising of DRI Kilns - 2x250 TPD (Sponge Iron-1,65,000TPA), Ferro Alloy Unit - 3x9 MVA (Fe-Si - 21,000 TPA/Fe-Mn - 60,000 TPA/Si-Mn - 42,000 TPA/Fe-Cr - 45000 TPA/Pig Iron 72,000 TPA) Briquetting Plant (300 Kg/Hr.) WHRB based Power Plant - 2x7MW, FBC based Power Plant - 1x12 MW & Brick Manufacturing Unit (16,000 Bricks/Day) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला—बिलासपुर (छ.ग.) की अध्यक्षता में **दिनांक 23/07/2025 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम—खरकेना, प0ह0नं0—36, तहसील—सकरी, जिला—बिलासपुर में स्थित खसरा नं0 999, रकबा—5.2360 हेक्टेयर (खेल मैदान हेतु आरक्षित)** में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :—

भारत शासन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की, ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के तहत् मेसर्स बिलासपुर माईनिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम—खरकेना, तहसील—सकरी एवं ग्राम—धौराभाठा, तहसील—बिल्हा, जिला—बिलासपुर (छ.ग.) में Establishment of Greenfield steel plant comprising of DRI Kilns - 2x250 TPD (Sponge Iron-1,65,000TPA), Ferro Alloy Unit - 3x9 MVA (Fe-Si - 21,000 TPA/Fe-Mn - 60,000 TPA/Si-Mn -42,000 TPA/Fe-Cr - 45000 TPA/Pig Iron 72,000 TPA) Briquetting Plant (300 Kg/Hr.) WHRB based Power Plant - 2x7MW, FBC based Power Plant - 1x12 MW & Brick Manufacturing Unit (16,000 Bricks/Day) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु **स्थानीय समाचार पत्र नई दुनिया, बिलासपुर में दिनांक 21/06/2025 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र फायनेंशियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 21/06/2025 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी।** तद्नुसार लोक सुनवाई **दिनांक 23/07/2025 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम—खरकेना, प0ह0नं0—36, तहसील—सकरी, जिला—बिलासपुर में स्थित खसरा नं0 999, रकबा—5.2360 हेक्टेयर (खेल मैदान हेतु आरक्षित)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14/09/2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला—बिलासपुर, आयुक्त, कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर जिला—बिलासपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय, जिला पंचायत—बिलासपुर, जिला—बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) तखतपुर/बिल्हा, जिला—बिलासपुर, कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यालय नगर पंचायत बिल्हा, जिला—बिलासपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यालय नगर पंचायत—बोदरी, जिला—बिलासपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद—तखतपुर, जिला—बिलासपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, **सरपंच/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत/ग्राम–अमसेना, बेलमुण्डी, छतौना, दिघोरा, कबराकांपा, खरकेना, मेडपार बाजार, मेडपार केवट, मुरू, पथराली, सर्करा, सकेती, संबलपुरी, उडेला, तहसील–सकरी, कार्यालय ग्राम पंचायत/ ग्राम–अर्टरा, अतुलकांपा, भैसबोड, भोजपुरी, धौराभाठा, डोकलाडीह, डोंडकी, हिर्री, केवांची, मोहदा, उतगन, तहसील – बिल्हा, कार्यालय ग्राम पंचायत/ग्राम–हरदी, झल्फा, खम्हारडीह, मोहभट्ठा, मुढ़ीपार, रहंगी, तहसील–बोदरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** डायरेक्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर(छ.ग.) में लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को 78 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि **दिनांक 23/07/2025 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम–खरकेना, प0ह0नं0–36, तहसील–सकरी, जिला–बिलासपुर में स्थित खसरा नं0 999, रकबा–5.2360 हेक्टेयर (खेल मैदान हेतु आरक्षित)** में आयोजित की गई थी। लोक सुनवाई की कार्यवाही नियत समय पर आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री शिवकुमार बनर्जी, अतिरिक्त कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से उद्योग प्रतिनिधि श्री राजकुमार पात्रे, एच.आर. मेसर्स बिलासपुर माईनिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, जिला–बिलासपुर के द्वारा मेसर्स बिलासपुर माईनिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरकेना, तहसील–सकरी एवं ग्राम–धौराभाठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में Establishment of Greenfield steel plant comprising of DRI Kilns - 2x250 TPD (Sponge Iron-1,65,000TPA), Ferro Alloy Unit - 3x9 MVA (Fe-Si - 21,000 TPA/Fe-Mn - 60,000 TPA/Si-Mn -42,000 TPA/Fe-Cr - 45000 TPA/Pig Iron 72,000 TPA) Briquetting Plant (300 Kg/Hr.) WHRB based Power Plant -

2x7MW, FBC based Power Plant - 1x12 MW & Brick Manufacturing Unit (16,000 Bricks/Day) के परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी से जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तिया दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री कुदुलाल भारद्वाज, ग्राम–धौराभाठा** :– मेसर्स बिलासपुर माईनिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जो स्टील प्लांट का स्थापना किया जा रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि क्षेत्र के बेरोजगारों को फायदा मिलेगा, जो बाहर पलायन करते है वो नहीं करेंगे, साथ ही क्षेत्र में जो भूमि है, उसका मूल्य बढ़ेगा, उसका जिंदगी भर हमको लाभ मिलेगा।

2. **श्री मुकेश कुमार, ग्राम–धौराभाठा** :– मैं चाहता हूँ कि स्टील प्लांट खुले, जिससे हमारे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।

3. **श्री भुवनेश्वर पटेल, ग्राम–हिर्री** :–स्टील प्लांट खुल रहा है उससे मुझको कोई आपत्ति नहीं है। सभी को रोजगार मिलेगा।

4. **श्री भवर सिंह साहू, ग्राम–धौराभाठा** :– स्टील प्लांट खुल रहा है मुझको कोई आपत्ति नहीं है।

5. **श्री कृष्णा कुमार ध्रुव, ग्राम–मुरू** :– मैं इस उद्योग का समर्थन करता हूँ।

6. **श्री संजीव कुमार बंजारे, ग्राम–धौराभाठा** :– मैं इस स्टील प्लांट का समर्थन करता हूँ।

7. **श्री अर्जुन साहू, ग्राम–धौराभाठा** :– स्टील प्लांट खुलने में मेरा पूरा समर्थन है।

8. **श्री तुकेश कुमार यादव, ग्राम–धौराभाठा** :– मैं इस उद्योग का समर्थन करता हूँ।

9. **श्री शिव कुमार साहू, ग्राम–खरकेना** :– मैं इस स्टील प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

10. **श्री तुकेश्वर साहू,** :– मैं इस उद्योग का समर्थन करता हूॅ।

11. **श्री लोमेश साहू, ग्राम–खरकेना** :– मैं इस स्टील प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

12. **श्री धुव सिंह मरकाम** :– मैं इस उद्योग का समर्थन करता हूॅ।

13. **श्री दशरथ सोनवानी, ग्राम–धौराभाठा** :– मैं इस उद्योग का समर्थन करता हूॅ।

14. **श्री विकास भारद्वाज, ग्राम–धौराभाठा** :– मैं इस स्टील प्लांट का समर्थन करता हूॅ।

15. **श्री मरकाम सिंह** :– स्टील प्लांट खुलने में मेरा पूरा समर्थन है।

16. **श्री साहिल पटेल, ग्राम–हिर्री** :– मुझे स्टील प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है। यहां आस–पास के गांव वालों को रोजगार मिलेगा। यहां जमीन की वेल्यू बढ़ेगी।

17. **श्री संजू सिंह राज, ग्राम–हिर्री** :– मुझे प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

18. **श्री छेद कुमार, ग्राम–मेढ़पार छोटा** :– मेरे को स्टील प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

19. **श्री नरोत्तम रजक, ग्राम–मोहदा** :– स्टील प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

20. **श्री अशोक शर्मा** :– मुझे स्टील प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

21. **श्री संजय कुमार साहू, ग्राम–खरकेना** :– स्टील प्लांट खुलने से हमारे यहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के नये–नये अवसर उत्पन्न होंगे। हमारे गांव के आस–पास के लोगों को बिजली की सुविधा मिलेगी। हम इस कंपनी से यह चाहते है कि पर्यावरण की व्यवस्था बनाये रखे तथा हमारे गांव को जो भी आवश्यकता पड़े जन सुविधा के लिए वो सब आपके द्वारा प्रदान किया जाये। यही आपसे अपेक्षा है। इस प्रकार हम इस कंपनी को खुलने की सहमति प्रदान करते है।

22. **श्री भाऊचंद दिवाकर, ग्राम–धौराभाठा** :– इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारे गांव के बगल में ही ग्राम पंचायत–खरकेना में जो प्लांट खुलने वाला है, वो खुलना चाहिए, इस बात की हमें खुशी है। स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी और प्रबंधक मैनेजमेंट से अनुरोध रहेगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ–साथ ही पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्लांट को संचालित करना है। कंपनी को खुलने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कंपनी को अपना समर्थन प्रदान करते है ।

23. **श्री दिपेन्द्र शास्त्री, ग्राम–धौराभाठा** :– कंपनी खुलने से मुझे आपत्ति है।

24. **श्री दिलावर आनंद, ग्राम–धौराभाठा** :– कंपनी खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

25. **श्री अजय कुमार निषाद, ग्राम–मेढ़पार छोटा** :– कंपनी खुलने से सहमत हूॅ।

26. **श्री अशोक मानिकपुरी, ग्राम–मोंहदी** :– प्लांट लगने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

27. **श्री अशोक साहू, ग्राम–खरकेना** :– निश्चित ही किसी उद्योग के आने से गांव का विकास होता है, साथ ही साथ उस आश्रित ग्रामों को बुनियादी ढांचो से विकसित किया जाता है। मैं प्रबंधक महोदय से ये निवेदन करूंगा कि स्थानीय व्यक्तियों को अधिक से अधिक रोजगार देते हुए गांव के मूलभूत सुविधाओं के प्रति सजग रहते हुए पर्यावरण का संतुलन बनाते हुए इस औद्योगिक इकाई को संचालित करेंगे। इसको संचालित करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

28. **श्री श्याम लाल साहू, ग्राम–खरकेना** :– इस कंपनी को खुलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं प्रबंधक से निवेदन करता हूॅ कि जो यू0पी0 व बिहार से आकर यहां काम करते है और हमारे छत्तीसगढ़ के नवयुवक बेरोजगार घूमते है, उनके लिए मैं प्रबंधक से निवेदन करता हूॅ कि वो हमारे ग्राम–खरकेना के सभी भाई–बंधु है, उनको रोजगार देने का कृपा करेंगे।

29. **श्री लालजी यादव, ग्राम–धौराभाठा** :– इस कंपनी के खुलने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

30. **श्री शिवशंकर साहू, ग्राम–खरकेना** :– स्टील प्लांट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहां जितने भी बेरोजगार है, उन सबको काम मिलना चाहिए, साथ ही ये जो धौराभाठा वाला रोड है वो बहुत खराब है, उसको सुधार कर बनाया जाये। बहुत जरूरी है रोड बनाना। अभी हम लोग खातू–माटी लेने जायेंगे जिसमें बहुत दिक्कत होता है। पैदल चलना मुश्किल है। प्लांट के साथ–साथ रोड भी बनना जरूरी है, भैया।

31. **श्री चंद्रप्रकाश साहू, ग्राम–खरकेना** :– बिलासपुर माईनिंग कंपनी खुलने में कोई दिक्कत नहीं है। आपत्ति नहीं है।

32. **श्री मनोज कुमार, ग्राम–अमसेना** :– स्टील प्लांट खुलने में कोई आपत्ति नहीं है।

33. **श्री रामप्रसाद साहू, ग्राम–खरकेना** :– इस प्लांट के लगने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे गांव के जो युवा है, उनको रोजगार देंगे।

34. **श्री रामनाथ साहू, ग्राम–धौराभाठा** :– मेरे को कंपनी खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

35. **श्री फूल सिंह साहू, ग्राम–मेढ़पार छोटा** :– मेरे को स्टील प्लांट खुलने से कोई परेशानी नहीं है।

36. **श्री कृष्ण कुमार वर्मा, ग्राम–धौराभाठा** :– स्टील प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

37. **श्री रामकिसन यादव, ग्राम–मुरू** :– कंपनी खुलने में कोई आपत्ति नहीं है।

38. **श्री ओम प्रकाश कुर्रे, ग्राम–धौराभाठा** :– स्टील प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

39. **श्री सुनिल कुमार, ग्राम–धौराभाठा** :– रोड का यहां पर बहुत समस्या है। अभी भी वहां जाकर देखिये डोलोमाईट खदान की गाड़ी चलता है, उसमें भी दुर्घटना की आशंका है, बड़ा–बड़ा गड्ढा है, चिखला है उसमें परेशानी होती है। प्लांट खुलने में कोई आपत्ति नहीं है। रोड का थोड़ा ध्यान दीजिए सर।

40. **श्री मनीराम, ग्राम–धौराभाठा** :– स्टील प्लांट खुलने से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है।

41. **श्री शरद कुमार यादव, ग्राम–मुरू** :– स्टील प्लांट खुलने से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है।

42. **श्री कमलेश साहू, ग्राम–धौराभाठा** :– मेरे को स्टील प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

43. **श्री राकेश, ग्राम–धौराभाठा** :– मेरे को स्टील प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

44. **श्री नरेश कुमार, ग्राम–धौराभाठा** :– मुझे कंपनी खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

45. **श्री पन्ना लाल साहू, ग्राम–मोहभट्ठा** :– प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

46. **श्रीमती सविता साहू, ग्राम–खरकेना, सरपंच** :– ग्राम–खरकेना एवं धौराभाठा में स्टील उद्योग हमारे क्षेत्र के प्रगति का प्रतीक होगा। इसके माध्यम से ग्रामवासियों को व्यवसाय का साधन मिलेगा व हम ग्रामीणों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। अतः मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

47. **श्री चंदूराम साहू, ग्राम–खरकेना** :– दो बातों को ध्यान देते हुए व मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए वन–पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और दूसरी बाते वॉटर लेवल नीचे जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आज हमें इतना परेशानी हो रहा है, कि वॉटर लेवल नीचे हो जाने के कारण जो पीने की पानी का समस्या हो रहा है। मैं यही अनुरोध कर रहा हूॅ कि दो बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे वन–पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वॉटर लेबल को ध्यान में रखते हुए प्लांट स्थापना कीजिएगा, इसी बिन्दु के साथ अपना वाणी विराम करता हूॅ।

48. **श्री शत्रुहन, ग्राम–महुदा** :– कोई आपत्ति नहीं है।

49. **श्री जशपाल श्रीवास, ग्राम–खरकेना** :– प्लांट खुलने में कोई आपत्ति नहीं है।

50. **श्री पूनाराम साहू, ग्राम–खरकेना** :– प्लांट खुलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

51. **श्री राजकुमार, ग्राम–धौराभाठा** :– मुझे इस प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारे यहां क्षेत्रीय आदमी को काम दिया जाये व बाहरी आदमी को काम में रख के हमको निकाल देते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए।

52. **श्री शिवसाहू, ग्राम–खरकेना** :– ग्राम–खरकेना–धौराभाठा में उद्योग लगाने की व हमें रोजगार देने एवं स्थानीय निवासियो को प्राथमिकता देने व नौकरी देने के विषय में लोक सुनवाई रखें हैं आप, इच्छा करता हूॅ कि मेरे गांव के लोगों को पूर्ण प्राथमिकता मिलेगा।

53. **श्री मनोज कुमार निषाद, ग्राम–मेड़पार छोटा** :– मैं ये कहना चाहता हूॅ कि इस कंपनी के खुलने से सहमति नहीं है, क्योंकि हमारे ग्राम में लोक सुनवाई है, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा, लेकिन ग्राम के लोगों को जानकारी नहीं दी गई है। यहां जो मेढ़पार के प्रभारी है, कोटवार है उनके द्वारा मुनादी के माध्यम से कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। हम लोग कुत्ते जैसे सुंघते हुए आ गये है। गलत शब्द नहीं था, हम लोग जबरदस्ती सुन के यहां आये है। हम लोग को मिला है सूचना, तो हम लोग आकर विरोध कर रहे है। एक बात और है हम सब लोग धौराभाठा, दिघोरा व खरकेना क्षेत्र से जुड़े हुए है। ज्यादातर इस क्षेत्र में खेती होती है। आप पिछले वर्ष देखे होंगे बरसात से पहले पानी के लिए इतना समस्या हो गया था कि किसी को बोर करने की अनुमति नहीं थी शासन के तरफ से, पानी के लिए इतना हाहाकार मच गया था व समस्या हो गया था।

54. **श्री पप्पू साहू ग्राम–खरकेना** :– इस प्लांट के खुलने में कोई आपत्ति नहीं है।

55. **श्री सत्तूराम कोसले, ग्राम–धौराभाठा** :– इस प्लांट के खुलने का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे गांव में व अन्य गांवों में पानी की समस्या है और पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज्यादा होगा। इसलिए हम इस कंपनी प्लांट के खुलने का विरोध करते है।

56. **श्री डोमन साहू, ग्राम–खरकेना** :– फैक्ट्री खुलने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे गांव में नया रोजगार चालू होगा।

57. **श्री सुरेन्द्र कुमार बंजारे, ग्राम–धौराभाठा** :– यह प्लांट खुलने से आपत्ति है।

58. **श्री मुनूराम जांगडे, ग्राम–धौराभाठा** :– मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। प्लांट खुलना चाहिए।

59. **श्री रवि कुमार धुरी, ग्राम–खरकेना** :– ये जो प्लांट खुल रहा है उसका मैं समर्थन करता हूॅ। हमारे गांव वालों के लिए एक एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान देंगे। गौठान को अच्छे से देखभाल करेंगे व वृक्षारोपण पर ध्यान देंगे।

60. **श्री नंदराम साहू, ग्राम–खरकेना** :– मैं इस परियोजना का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूॅ। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम के लोगों को रोजगार देने की कृपा करेंगे।

61. **श्री उमाशंकर जोशी, ग्राम–धौराभाठा** :– इस प्लांट के खुलने का मेरे को कोई विरोध नहीं है।

62. **श्री विनोद साहू, ग्राम–धौराभाठा** :– मेरे को प्लांट वाले अधिकारी से बस यही अनुरोध है कि भविष्य में जो पढ़े–लिखे बेरोजगार है उनके योग्यता अनुसार उनको काम पर रखेंगे। मुझे इस प्लांट के खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

63. **श्री प्रकाश साहू, ग्राम–खरकेना** :– जो स्टील प्लांट खुल रहा है उसको सहमति है, लेकिन हमारी कुछ मांग एव शर्त इस प्रकार है कि गांव के बेरोजगार युवकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाये व गांव में एम्बुलेंस हो, जिससे कभी घटना घटित हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाने में परेशानी न हो, भाटा वाले रोड को पक्का बनना चाहिए। इससे ग्राम धौराभाठा व खरकेना आने–जाने में कोई परेशानी न हो। प्लांट से लगे हुए जितने भी कृषि भूमि है उनको कृषि से संबंधित मुआवजा के रूप में भरपाई दिया जाये। गरीब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसे सहयोग राशि दिया जाये। गरीब परिवार के बेटियों की शादी में सहयोग राशि दी जाये। गांव की मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी व नाली आदि की मरम्मत होना चाहिए। ग्राम पंचायत–खरकेना पूर्ण रूप से समर्थन करती है।

64. **श्री रामू लहरे, ग्राम–हिर्री** :– यह कारखाना खुलने पर मेरे को आपत्ति है। मेरा छोटा–छोटा बाल–बच्चा है। उसी जमीन से मेरा गुजर–बसर चल रहा है। इस जमीन पर कारखाने खुलने में हम लोगों को आपत्ति है। कारखाना के जस्ट बगल में मेरा जमीन है।

65. **श्री निक्कू यादव, ग्राम–खरकेना** :– मुझे कंपनी खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

66. **श्री अमरोज कुमार साहू, ग्राम–खरकेना** :– कंपनी खुलने से मेरे को आपत्ति नहीं है।

67. **श्री श्रवण चतुर्वेदी , ग्राम–खरकेना** :– हमारे गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। कल प्लांट खुल जायेगा तो सुविधा देगा क्या? कोई नहीं करेगा। उसी प्रकार कंपनी खुलेगा तो हमारे गांव में एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। उसके लिए मैं सहमति मांगता हूॅ, प्लांट खुलना चाहिए। सब जिये–खाये।

68. **श्री संतोष कुमार साहू, ग्राम–खरकेना** :– आपत्ति है सर। आपत्ति इसलिए है प्लांट लगा रहा है अच्छी बात है, अपने यहां ग्रामीण बेरोजगार लड़के को नौकरी देगा तो आपत्ति नहीं है। पता चला कि उडीसा से ले आया, बंगाल से ले आया, तो आपत्ति है सर। सब शिक्षित बेरोजगार घूम रहे है, हमको कोई आपत्ति नहीं है यदि यू0पी0 व बिहार से ला रहे हो तो आपत्ति है। परेशानी हम लोग को होगा बाहर वाले को नहीं होगा।

69. **श्री संगोत्री लाल, ग्राम–धौराभाठा** :– पॉवर प्लांट खुलने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

70. **श्री रेवाराम बघेल, ग्राम–धौराभाठा** :– प्लांट खुले मे कोई आपत्ति नहीं है।

71. **श्री दुर्गेश कुमार साहू, ग्राम–खरकेना** :– विभागीय अधिकारी मेरे को आपत्ति और अनापत्ति करने देगें मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि हम दिघोरा के फिल इस्पात से ये प्रक्रिया झेल रहे है। आकाश डोलोमाईट वो भी ऐसे ही बोला था कि धौराभाठा में वृक्षारोपण कर वृक्ष लगायेंगे पर आज तक नहीं लगाये। सब बोलते तो बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं है। आज तक फिल इस्पात दिघोरा जो अच्छे शिक्षा की व्यवस्था, हॉस्टल व रात में पढ़े–लिखे युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात किया था।

आज तक क्या किया? मैं अधिकारी से पूछना चाहता हूँ और वो बताये। आस–पास के गांव में कितने पेड़ लगाये है? अभी तो मेरे जानकारी अनुसार दिघोरा में फिल इस्पात खुला है, उससे हमारे तालाब प्रभावित है। मैं एक बात रखना चाहता हूँ प्लांट तो खुलेगा विरोध होगा तो भी, हमको पता है, अगर एक प्लांट से हजार रोजगार मिलता है तो वो अच्छी बात है। पानी की समस्या होता है किसानो को तो ये प्लांट को बंद करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ विभागीय अधिकारियों से जवाब दे। बस मैं इतना कहता हूँ।

72. **श्री गोपाल यादव, ग्राम–खरकेना** :– मेरा प्रमुख चार मांग है। पहला ग्राम खरकेना के जिस मैदान में जिस स्थान पर ये जन सुनवाई हो रहा है, यहां पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक स्टेडियम प्लस चारो तरफ वृक्षारोपण और एक बोर खनन होना चाहिए। दूसरा हमारे गांव में लगभग पांच से छह हजार जनसंख्या है। हमारे ग्राम में प्रमुख रूप से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराये। तीसरा हमारे गांव के बच्चो के लिए लाईब्रेरी, पुस्तकालय की व्यवस्था कराये। चौथी हमारे गांव के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देनें की गारंटी दे। ये सब होता है ये सब करने के सक्षम है तो मेरे को इस प्लांट के खुलने में कोई आपत्ति नहीं है।

73. **श्री राजकुमार साहू, ग्राम–खरकेना** :– मुझे प्लांट खुलने में कोई आपत्ति नहीं है।

74. **श्री दुर्गेश साहू, ग्राम–धौराभाठा** :– प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

75. **श्री अश्वनी कुमार साहू, ग्राम–धौराभाठा** :– मेरे को प्लांट खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

76. **श्रीमती उमाबाई कुर्रे, ग्राम–खरकेना, पंच** :– मेरे गांव में जो स्टील प्लांट खुल रहा है आपत्ति नहीं है। मेरे गांव को जो भी मूलभूत सुविधा चाहिए जैसे डॉक्टर, पानी, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, गांव के छात्र–छात्राओं के लिए कॉलेज, उन सब चीजों की सुविधा होना चाहिए। मेरे को ये भी चाहिए कि मेरे गांव के व छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि बिहारी लोग जितने भी बाहर से आते है पूरा फायदा वही लोग उठा रहे है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। वही लोग कम्प्यूटर चलाते हैं। हमारे छत्तीसगढ के लोग पिछड़े पड़ गये हैं। कंपनी खोल रहे हैं आपत्ति नहीं हैं मुझे। जो भी हम लोग को चाहिए हमारे गांव के लोगों को सुविधा मिलना चाहिए।

77. **श्री गणेश** :– हमारे साथ पूरे आस–पास के गांव के लोग है। मेरा विषय ये है कि ग्राम–खरकेना में जो जन सुनवाई हो रहा है आपत्ति है। महोदय दावा–आपत्ति के संबंध में तखतपुर विकासखण्ड के अंतर्गत् आने वाला ग्राम पंचायत–खरकेना में उद्योग फैक्ट्री लगानें के लिए आज दिनांक 23.07.2025 को जो जन सुनवाई रखा गया है, जिसका हम विरोध करते है। ग्राम–खरकेना में उद्योग फैक्ट्री खुलने से क्षेत्र के लोगो का जन–जीवन प्रभावित होगा। आगे समस्या निम्न प्रकार से है:– मानव जीवन प्रभावित होगा, पशु–पक्षी, वन्य प्राणी प्रभावित होगा, कृषि भूमि जहरीला व बंजर हो जायेगा, वातावरण दूषित होगा, आस–पास का जल स्तर घटेगा, यातायात में समस्या होगी, क्षेत्र के लोगों को कई प्रकार से निम्न समस्या होगी। हम अनुरोध करते है ग्राम–खरकेना ये खुशहाल गांव है, यहां फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। फैक्ट्री खुलने से वातावरण पूरा प्रदूषित होगा। जल स्तर घटेगा, कृषि की भी समस्या होगी। जो धान का फसल है, सब्जी का फसल है वो भी नहीं होगा। अभी दो साल के बाद वातावरण खराब होगा। जो जगह खेती करने का है वो जहरीला हो जायेगा। इसलिए हम पूरे क्षेत्र के लोग इस चीज का विरोध करते है।

78. **श्री ऐलन यादव, ग्राम–धौराभाठा** :– प्लांट खुलने का समर्थन करता हूँ।

79. **श्री ताराचंद साहू, ग्राम–खरकेना** :– सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो संयंत्र लग रहा है, संयंत्र लगाने वाले मालिक उपस्थित है कि नहीं है? इसकी पहले मुझको जानकारी दे। माननीय महोदय जी यहीं चीज का आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ उस चीज को विश्वास में लाईये, आप आये है मैं आपका हद्‌य से अभिनंदन करता हूँ, लेकिन जो चीज कहता हूँ उसमें मुझे विश्वास दिलाया जाये। इस बात का मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। माननीय महोदय जी मै जो बात बोल रहा हूँ उस चीज को आप बता दीजिए। इस सभा में इस संयंत्र का मालिक है कि नहीं ? इतना तो जवाब दे दीजिए मुझे।

80. **श्री रामधुन साहू, ग्राम–खरकेना** :– मैं एक किसान हव। मैं गांव के आस–पास के आदमी मन ला कहना चाहत हव के ये सिर्फ एक औपचारिकता हे। जिस समय अनुमति दिया जाता है। उस समय गांव वालें को उपस्थित रहने को काहे को नहीं कहते है। ये काम नहीं होता खैर। ये गांव कृषि प्रधान गांव है। ये गांव के सभी आदमी कृषि पर आश्रित है, सर जी। ये गांव बिलासपुर जिले में उन्नत कृषि का कार्य करता है। मेरा निवेदन व प्रार्थना है कि हमारे गांव को व कृषि भूमि को एक

भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि पर्यावरण ऐसा होना चाहिए कि यहां के किसानों, मजदूरों, आम नागरिकों पर जो प्रोजेक्ट खुल रहा है उनका दूषित प्रभाव न पड़े। अगर यहां कंपनी या फैक्ट्री खुलती है या तो खुल रही है, तो मैं यह कहूंगा कि यहां के जो शिक्षित बेराजगार है योग्यता के अनुसार खरकेना वालों को प्राथमिकता दे। जो आश्रित गांव है वहां के भी शिक्षित बेराजगारों को भी नौकरी में रखे। योग्यता के अनुसार उनको भी नौकरी दी जाये। मेरा आपके माध्यम से संदेश जाना चाहिए कि यहां सभी धर्मों, जातियों का त्यौहार मनाया जाता है और मेरे गावं में सतनामी समाज के आदमी बहुत ज्यादा है। महान संत गुरूघासीदास का जयंती यहां मनाया जाता है। जिस प्रकार से शहरो में प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, उसी प्रकार से संत गुरूघासीदास जयंती में यहां भी देना चाहिए।

81. **श्री मंगलदास मानिकपुरी, ग्राम–हरदी** :– महोदय मेरा प्रार्थना है जो फैक्ट्री खुलेगा, उसी के बाउण्ड्री में मेरा 05 एकड़ जमीन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूॅ मेरा चार लड़का है, मेरे चारो लड़को का भविष्य खराब हो जायेगा। मैं ये ऋणपुस्तिका लाया हूॅ मेरे को कल ही पता चला है कि खरकेना में जन सुनवाई है, मैं हरदी का रहने वाला हूॅ।

82. **श्री परमेश्वर साहू, ग्राम–खरकेना, सरपंच** :– आज दिनांक 23.07.2025 को हमारे ग्राम पंचायत–खरकेना में जन सुनवाई का आयोजन रखा गया है, इस संदर्भ में मैं कुछ अपनी प्रमुख मांगो को रखना चाहता हूॅ, जो इस उद्योग के संस्थापक है कृपया इस विषय पर ध्यान देंगे। हमारे ग्राम पंचायत–खरकेना एवं धौराभाठा में बिलासपुर माईनिंग प्रा0 लि0 द्वारा स्थापित होने वाले स्टील उद्योग हमारे क्षेत्र की प्रगति का प्रतीक है, जिसके माध्यम से हमारे ग्रामवासियों को अजीविका का साधन मिलेगा। निश्चित है महोदय आने वाले समय में हमने देखा है कुछ वर्षो पहले जब हमारे देश में एक बहुत बड़ा आपदा उत्पन्न हुआ था, जिसे कोरोना के नाम से हम सभी जानते है। उस समय में भारत देशो के लोगों को ये पता नहीं था कि किस राज्य के, कितने गांव के, हमारे गांव के, हमारे परिवार के हमारे भाई–बंधु, युवा–साथी रोजगार नहीं होने के कारण दूसरे राज्य में पलायन के लिए गये थे। जब लॉकडाऊन की स्थिति उत्पन्न हुई। उस समय में माननीय जिला अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक गांव में सर्वे कराया गया कि कौन से गांव में कितने लोग पलायन किए हुये है, तो हमें बहुत दु:ख हुआ कि हमारे गांव से लगभग 400 से 500 हमारे बेरोजगार साथी अपने बीबी–बच्चों के साथ में अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए

पलायन किऐ हुए थे। महोदय आज हमारे क्षेत्र में स्टील प्लांट खुलने जा रहा है मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राथमिकता के आधार पर हमारे ग्राम पंचायत–खरकेना में जितने भी बेरोजगार व्यक्ति युवा साथी एवं हमारे माताएं जो है उनको प्राथमिकता के आधार पर आप उन्हें नौकरी देंगे, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, जो अभी शांतिनगर से होते धौराभाठा पहुंच मार्ग में आपके द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया है। उस रोड को आप देखियेगा उस रोड की स्थिति बहुत जर्जर है। हमारे द्वारा अनेकों बार पत्र के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराया गया है। यहां उपस्थिति पीठासीन अधिकारी से निवेदन करता हूॅ कि इस रोड को प्रमुखता से ध्यान में रखते हुए बनवाया जाये। उस रोड को आप अधिकारियों को पत्र भेजकर बनवाने की कृपा करेंगे। हमारा सहयोग रहेगा और एक बात कहना चाहता हूॅ कि हमारे क्षेत्र में उद्योग–धंधा खुलने से आसपास के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ना की बाहरी लोगों को, हम देखते है बाद में जो लोग उद्योग खोलते है वे बिहार से, बंगाल से व अन्य राज्यों से लोग यहां पर कर्मचारी बुलाकर काम करवाते है, ये अशोभनीय है, हम आपको अपने क्षेत्र में उद्योग–धंधा खोलने के लिए यहां पर अनुमति दे रहे है तो किस लिये दे रहे है? हमारे क्षेत्र के जितने लोग है उनको प्राथमिकता के क्रम में ज्यादा से ज्यादा आप रोजगार देने की कृपा करें। मौसमी बीमारी बरसात के समय में ज्यादा होता है। उस समय अनेकों बीमारी उत्पन्न होता है, अतः आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येक गांवों में स्वास्थ्य संबंधी दवाईयों का वितरण करायें। हमारे ग्राम–खरकेना में हायर सेकेण्डरी स्कूल है। बच्चे ट्यूशन करने यहां से 10 से 12 कि.मी. जाते है, तो आने–जाने में काफी दिक्कत होती है। आपके माध्यम से हमारे गांव में कम्प्यूटर क्लास होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर आपके जैसा शिक्षित अधिकारी बनें। एक बात और कहना चाहता हूॅ महोदय निश्चित हमारे ग्राम पंचायत–खरकेना कृषि क्षेत्र है। इसमें कोई दोमुहानी नहीं है, गर्व है हमारे ग्राम पंचायत–खरकेना को कृषि क्षेत्र में हमारे ब्लॉक के द्वारा पुरूस्कृत किया गया था। महोदय किसानो का अहित न हो इन सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आप उद्योग–धंधा स्थापित कर रहे है इसका मैं पूर्ण समर्थन कर रहा हूॅ।

83. **श्रीमती प्रतिमा साहू, ग्राम–खरकेना** :– मुझे प्लांट खुलने में कोई दिक्कत नहीं है।

84. **श्री विनोद दिवाकर, ग्राम–धौराभाठा** :– प्रस्तावित स्टील प्लांट खुलने में समर्थन करते है। ये जरूरी है कि आस–पास के किसानों के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले। यही मेरा अनुरोध है।

85. श्री उमाशंकर कैवर्त, ग्राम–मेड़पार छोटा, पंच प्रतिनिधि :– मैं इस संयंत्र के खुलने पर विरोध करता हूॅ। हमारा आस–पास का क्षेत्र ग्राम पंचायत–मुरू, खरकेना, धौराभाठा, छोटा मेड़पार सभी हरित क्षेत्र में आते है। यहां पर कृषि को प्राथमिकता दिया जाता है। माननीय अधिकारी से मेरा अनुरोध है कि संयंत्र से हमारे क्षेत्र के कृषि कार्य पर क्या प्रभाव नहीं पडेगा? पिछले सत्र में हमारे किसान भाईयों द्वारा जो बोर खनन किया गया था वो 200 फीट में चल रहा था पर आज वो जल स्तर 500 फीट नीचे जा चुका है। इस संयंत्र के लगने से हमारे किसान भाईयों की स्थिति दिख रही है, मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूॅ कि इस कंपनी को खुलने से और किसान भाईयों की जान बचाने की कृपा करें।

86. श्री भरत लाल कौशिक , ग्राम–खरकेना :– मैं इस फैक्ट्री का विरोध करता हूॅ, क्योंकि हरित क्षेत्र में हम लोग रहते है औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे वर्तमान में बिलासपुर के तिफरा क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में उद्योग लगाना गलत है। मैं इसका विरोध करता हूॅ।

87. श्री योगेश साहू, ग्राम–खरकेना पूर्व जनपद सदस्य :– मेसर्स बिलासपुर माईनिंग इंडिया प्रा0लि0, खरकेना में जो उद्योग लग रहा है उसका समर्थन तो है पर कई वक्ताओं ने बताया कि फिल इस्पात जो बड़े–बड़े वादे किये थे। पानी लेंगे तो नदी से लेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। ऐसा हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमको ये आश्वस्त होना चाहिए कि आप नदी से पानी लेंगे, वृक्षारोपण करेंगें। कम से कम 80 प्रतिशत युवाओं को जो यहां के प्रभावित क्षेत्र से हैं उनको रोजगार देंगे। ऐसा होता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

88. श्री हर प्रसाद कौशिक, ग्राम–खरकेना, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि :– मेसर्स बिलासपुर माईनिंग इंडिया प्रा0लि0, खरकेना में जो इस्पात प्लांट के लिए जो स्वीकृति दी जा रही है उनमें जो युवा वर्ग है खासकर के हमारे गांव के शिक्षित बेरोजगार भाई जो आस–पास के स्थानीय लोग है इनकों रोजगार का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो आस–पास हमारा इलाका है वह कृषि से जुड़ा हुआ हैं। हमारे इस क्षेत्र में जहां माईनिंग है। वहां कही बोर खनन होता है, तो आसपास के क्षेत्र को कृषि में नुकसान पहुंचेगा। मैं चाहता हूॅ कि आस–पास के नदीं से पानी लिया जाये, तो वह सर्वाधिक अच्छा होगा। साथ ही साथ पर्यावरण की बात है तो आस–पास में जो चिमनी से धुआं निकलती है वह किसानों की फसल को नुकसान कर सकता है, उनका वेल्यू कम कर सकता है, बिकने में दिक्कत आ सकता है

इसको ध्यान में रखकर यहां पर जो स्थापना किया जा रहा है। वहां पर्यावरण की दृष्टि से अधिक वृक्षारोपण होना चाहिए ताकि जो प्रदूषण कम हो, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार का क्षति न हो, धन्यवाद।

89. **श्रीमती सुनीता, ग्राम–खरकेना** :– प्लांट खुलनें में कोई आपत्ति नहीं हैं, लेकिन यहां बिजली और पानी की बहुत दिक्कत है, ध्यान दें।

90. **श्री तारालाल साहू, ग्राम–खरकेना** :– मैं यही कहना चाहता हूँ हमनें पिछले दो साल पूर्व विरोध किया गया था। हमारा, प्रशासन और प्रबंधक का एक एग्रीमेंट हुआ था। उसमें कहां गया था सी0एस0आर0 और सी0ई0आर0 से प्रतिवर्ष विकास का कार्य करायेंगे। सी0एस0आर0 क्या होता है? आप लोगों की जानकारी से उपर है। सी0एस0आर0 जो कंपनी के टर्न ओवर का 02 प्रतिशत और सी0ई0आर0 वह कंपनी के टर्न ओवर का 01 प्रतिशत होता है। देखा जाये तो प्रतिवर्ष कंपनी कम से कम 100 करोड़ या 50 करोड़ टर्न ओवर करती है तो उसका 02 प्रतिशत कितना होता है? 02 प्रतिशत खर्च नहीं करती है। आज बिन्दुवार देखा जाये तो हमें दशमलव में राशि मिलता है। आज विकास कार्य गांव में देखने को नहीं मिलता । मैं माननीय महोदय से या पीठासीन अधिकारी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान देते हुए प्रतिवर्ष सी0एस0आर0 और सी0ई0आर0 का पैसा होता है, उसे ग्राम पंचायत में किसी कार्य को करने हेतु एलाट कर दे, ताकि वो विकास कार्य करें। बस इसी मांगों के साथ इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।

91. **श्री कबीर दास, ग्राम–मोहभट्ठा, कोटवार** :– इस क्षेत्र के लिए ये कंपनी खुल रहा है क्या फायदा रहेगा? सवाल जवाब होता है सर जी, हमको यहां क्या फायदा होगा? क्या नुकसान होगा? ये थोडा सा सवाल है सर जी। मेरी सहमति नहीं है। सहमति नहीं है, मतलब ये कृषि क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र होने के बाद बड़े–बड़े अधिकारी वर्ग है, हम यहां जो भी बात करते हैं ना हो जाता है। ये सिर्फ फॉरमेल्टी है ये बाकी सब चीजें हो जाता है। ये यहां पे लगा है उसके बाद भी सब हो जाता है। क्यू होता है? मेरे को समझ में नहीं आता है। मैं भी ग्राम का कोटवार हूँ मोहभट्ठा का कबीरदास नाम है। कितना भी विरोध करें उसके बाद ये कार्यक्रम हो जाता है। क्यू होता है? समझ नहीं आता है सर, फॉरमेल्टी है, सर मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, इसके बाद हमको परेशान करते है। लोग बोलते हैं अरे यार कोटवार ऐसा नहीं किये, वैसा नहीं किये, ऐसे बोलते हैं। हम निचले स्तर के कर्मचारी है ऐसे नहीं हो रहा, वो हो रहा है ऐसे बोलते है। हमको कोई फायदा नहीं होता है।

दो–चार पैसा इनको दे देंगे, उनको दे दिये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जायेगा, एक ही जमीन है थोड़ा से, निवेदन है कि जो भी लगे उचित हो, छोटा सा कर्मचारी हूँ। जो बोल रहा हूँ ना सही बोल रहा हूँ सर।

92. **श्री सुमित कौशिक** :– हम लोग दिघोरा प्लांट के पास खेती करते है। पूरा धान का खेती नहीं होता। प्लस उसमें पूरा काला–काला आ जाता है। उसके कारण उसका रेट नहीं चढ़ता। खेती वहां पर होता नहीं है, पानी पूरा सूख जाता है। वैसे भी हमारे गांव में खुलेगा, तो वैसी हो जायेगा।

93. **श्री रामचंद्र साहू, ग्राम–खरकेना** :– मेरे को कोई आपत्ति नहीं है।

94. **श्री भोलाराम तिवारी, ग्राम–मुरू, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष** :– प्लांट खुल रहा है उसका हम समर्थन करते है। आसपास के बेरोजगार लड़को को काम मिलना चाहिए और आस–पास के गांव में विकास होना चाहिए।

95. **श्री राजेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–खरकेना** :– प्लांट खुलने में हमें आपत्ति नहीं है। कृपया एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कंपनी की तरफ से किजिएगा, हॉस्पिटल का, वृक्षारोपण का वो भी जरूरी है क्योंकि यहां से वहां तक पूरा पेड़ कट चुका है और निवेदन करता हूँ कि हमारा ये मांग पूरा करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये ऐसा नहीं कि जो पढ़े–लिखे है उसी को बस को, यदि कोई कुली–कबाड़ी करते उनको भी रोजगार मिले। कोई लाचारी के नाम से पढ़े–लिखे नहीं हैं। कंपनी खुलने पर रोजगार दिया जाये। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

96. **श्री रामशंकर साहू, ग्राम–खरकेना** :– मेरे को प्लांट खुलने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना है कि हमारे गांव के जो भाई बेरोजगार है उनको रोजगार देंगे।

97. **श्री संजू मानिकपुरी, ग्राम–हिर्री, सरपंच** :– स्टील प्लांट का स्वागत करता हूँ। कंपनी के माध्यम से हमारे गांव में विकास के अवसर चाहता हूँ जैसे रोड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था है, बाकी हमारे गांव के कुछ युवा बेराजगार है उनको उद्योग के माध्यम से रोजगार दें।

98. **श्री हरप्रसाद साहू** :– स्टील प्लांट हमारे गांव में पूर्व से निर्धारित है। प्लांट तो खुलेगा ही। इसमें आपत्ति नहीं है। हमारे गांव में धौराभाठा, खरकेना में प्लांट खुलना चाहिए।

99. **श्री मोहन कुमार ध्रुव, ग्राम–खरकेना** :– स्टील प्लांट खुलनें से कोई आपत्ति नहीं है। गांव के मजदूर मन ला मजदूरी मिले।

तत् पश्चात् लगभग अपरान्ह 1:45 बजे अतिरिक्त कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 134 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 99 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 200 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 52 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा लगाया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)